**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.**

अपील संख्याः 95/16 निर्णय दिनांकः– 27.08.2018

1. हनुमानसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी वीनसर तहसील व जिला चूरू हाल चक 1 एसएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

**–बनाम–**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 03–09–1987**

**सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर**

**उपस्थितः**

1. श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 03.09.1987 जिसके द्वारा अपीलांट् का भूमिहीन आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि

का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ के चक 1 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 86/62 के किला नम्बर 11 ता 25 में 15 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पुख्ता आंवटित हुई थी। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् कुछ किश्तें भी खजानाराज में जमा करवा दी गई थी। चूंकि वरवक्त आवंटन मौके पर पानी नहीं लगता था तथा बरसात में ही खेती हो पाती थी। इसलिए बाकी समय अपीलांट मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अकाल की स्थिति के कारण समय पर किश्तें जमा नही करा सका। अपीलांट् का आवंटन एकतरफा किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट आज दिनांक को भी बकाया राशि जमा कराने हेतु तैयार है। वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट से बकाया राशि जमा करवाई जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वादगत् भूमि का अपीलांट को किया गया आवंटन बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने के लिए संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये। अपीलांट को भूमिहीन में आवंटन किया गया है किन्तु उनके द्वारा समयावधि में बकाया किश्तें जमा नही कराई जाने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—09—1987 के विरूद्व अपील दिनांक 21—09—2016 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

अपीलांटस को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ के चक 1 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 86/62 के किला नम्बर 11 ता 25 में 15 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पुख्ता आंवटित हुई थी। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किश्तें जमा करवाने के उपरान्त वादगत् भूमि का पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया। किन्तु अपीलांट् द्वारा कालान्तर में किश्तें जमा नही कराये जाने के कारण

अपीलाधीन आदेश से भूमिहीन आवंटन निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट् को बकाया किश्तें जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया है किन्तु उस पर अपीलांट् की विधिवत तामील हीं नही कराई गई है। अपीलांट् को आवंटित भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। अपीलांट बकाया राशि जमा करवाते हुए आवंटन को बहाल कराना चाहते है।

चूंकि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटित भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट से बकाया राशि जमा करवाते हुए अपीलांट के आवंटन को बहाल किया जाना उचित पाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मु.बीकानेर का आदेश दिनांक 03—09—1987 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आवंटी अपीलांट से बकाया राशि जमा करवाते हुए अपीलांट के आवंटन को बहाल किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर